न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी	:	संजू मीणा, RAS
प्रकरण संख्या	:	63/2025
दायर दिनांक	:	16.07.2025
निर्णय दिनांक	:	03.02.2026

1. कैलाश पुत्र महादेव जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी बिहारीपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र जगदीश जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी बिहारीपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
3. नारायण पुत्र मूल्या जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी बिहारीपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
4. प्रहलाद पुत्र जगदीश जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी बिहारीपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
5. रामजीलाल पुत्र मूलचन्द जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी बिहारीपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
6. शान्ति देवी पत्नी स्व॰ महादेव जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी बिहारीपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
7. बरमीदेवी पत्नी स्व॰ सुरेश जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी बिहारीपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
8. राहुल पुत्र स्व॰ सुरेश जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी बिहारीपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
9. मोहित पुत्र स्व॰ सुरेश जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी बिहारीपुरा तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. हनुमानसहाय पुत्र महादेव जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी बिहारीपुरा तहसील दौसा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर ग्राम बिहारीपुरा तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 0.59 है॰, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.11 है॰ की पत्थरगढी करवाने का अनुतोष चाहा गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध, बावजूद तामिल न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रश्नगत आराजी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कैलाश पुत्र महादेव 1/16 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चांदराना, गंगादेवी पत्नी जगदीश 1/20 राहिन यूनियन बैंक ऑफ

इंडिया शाखा चांदराना, चन्द्रप्रकाश पुत्र जगदीश 1/10 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चांदराना, नारायण पुत्र मूल्या 1/4 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चांदराना, प्रहलाद पुत्र जगदीश 1/10 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चांदराना, रामजीलाल पुत्र मूलचन्द 1/4 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चांदराना, शांतिदेवी पत्नी स्व॰ महादेव 1/16, सुरेश पुत्र महादेव 1/16, हनुमानसहाय पुत्र महादेव 1/16 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चांदराना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

प्रकरण में बहस पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाने का अनुतोष चाहा गया है। मुताबिक जवाब तहसीलदार दौसा प्रश्नगत आराजी कैलाश पुत्र महादेव 1/16 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चांदराना, गंगादेवी पत्नी जगदीश 1/20 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चांदराना, चन्द्रप्रकाश पुत्र जगदीश 1/10 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चांदराना, नारायण पुत्र मूल्या 1/4 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चांदराना, प्रहलाद पुत्र जगदीश 1/10 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चांदराना, रामजीलाल पुत्र मूलचन्द 1/4 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चांदराना, शांतिदेवी पत्नी स्व॰ महादेव 1/16, सुरेश पुत्र महादेव 1/16, हनुमानसहाय पुत्र महादेव 1/16 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चांदराना के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान होने एवं किसी न्यायालय का स्थगन नही होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत जवाब से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रश्नगत आराजी के अधिकांश खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है किन्तु प्रश्नगत आराजी के खातेदार गंगादेवी पत्नी जगदीश एवं सुरेश पुत्र महादेव को प्रकरण में कहीं भी पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही इन खातेदारों की मौजूदगी/फौतगी के संबंध में किसी प्रकार के तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये हैं। मुताबिक जवाब तहसीलदार दौसा गंगादेवी पत्नी जगदीश एवं सुरेश पुत्र महादेव भी संयुक्त रूप से प्रश्नगत आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं, जिन्हें प्रकरण में आवश्यक रूप से पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। यदि उक्त खातेदार फौत हो चुके हैं, तो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में इन खातेदारों की फौतगी एवं इनके समस्त विधिक वारिसान का वर्णन करते हुए समस्त विधिक वारिसान को प्रकरण में पक्षकार के रूप में सृजित किया जाना चाहिए था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)